सोलर पम्प

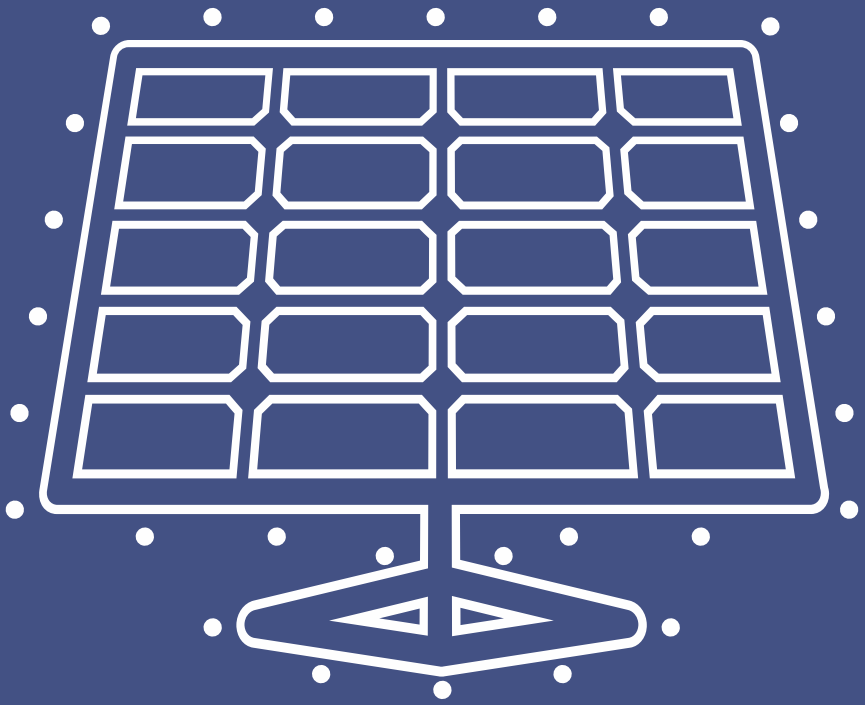

वसुन्धरा राजे
मुख्यमंत्री, राजस्थान

किसान की उन्नति से ही हमारे पूरे प्रदेश की प्रगति संभव है। हमने किसान भाइयों के लिए राज्य में कई महत्त्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। आप सभी उनका फायदा उठायें व परम्परागत खेती के साथ ही खेती के नये तरीकों व तकनीकों को अपनाएं।

हरित क्रांति, पीत क्रांति, श्वेत क्रांति व नीली क्रांति अब तक हो चुकी हैं, अब हमारा सपना राज्य में सदाबहार क्रांति (Evergreen Revolution) लाने का है। इसके लिए हमारी सरकार हर कदम पर किसानों के साथ है।

प्रभुलाल सैनी
कृषि मंत्री, राजस्थान

राज्य के विकास में हमारा मेहनतकश किसान एक अहम कड़ी है। राजस्थान सरकार किसानों के प्रति समर्पित है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई कम पानी, कम लागत, अधिक उत्पादन, उच्च तकनीक, संरक्षित खेती, अधिक मूल्य वाली फसलें उगाना आदि नवाचारों को अपनाएं और आगे बढ़ें।

सौर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना

राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाए हैं। गैर–पारम्परिक एवं पर्यावरण के लिए फायदेमंद सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पम्प स्थापित करवाये गये हैं। सौर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना राजस्थान राज्य के लिए वरदान साबित हुई है। सौर उर्जा पम्प संयंत्र स्थापना में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है।

सोलर पम्प के लाभ

- लाभकारी उच्च–मूल्य वाली बागवानी/कृषि फसलों को भी अपनाने का अवसर किसानों को देकर राज्य में सिंचित क्षेत्र बढ़ाना और इस तरह उत्पादकता बढ़ाना।
- कुशल सिंचाई विधियों के उपयोग के माध्यम से भूजल संरक्षण।
- बिजली की मांग व आपूर्ति के अंतर में कमी करके सिंचाई के लिए ग्रिड आधारित बिजली के अलावा एक नया विकल्प उपलब्ध करवाना।
- महंगे और प्रदूषणकारी डीजल पम्प सेट का कम इस्तेमाल।
- ऐसे दूरस्थ स्थानों पर किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना जहां निकट भविष्य में विद्युत ग्रिड की संभावना कम है।
- सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों द्वारा दिन के समय सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना, चूंकि ग्रिड–पावर की आपूर्ति साधारणतया रात्रि के दौरान की जाती है जिससे कृषकों को सिंचाई करने में असुविधा होती है।

राज्य सरकार से प्रोत्साहन

वर्ष 2016–17 में सौर ऊर्जा पम्प परियोजना के अन्तर्गत 12202 सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापित करवाने का कार्य प्रगति पर है एवं संयंत्र स्थापना पर कृषकों को तीन श्रेणियों में निम्नानुसार अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा हैः

- कृषक, जिनका नाम कृषि विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु वर्ष 2016–17 की वरीयता सूची में है तथा कृषि विद्युत कनेक्शन समर्पित करने को सहमत हैं, ऐसे कृषकों

को भारत सरकार (MNRE) द्वारा देय अनुदान (राशि रु.32,400 प्रति एचपी एसी पम्प हेतु व राशि रु.40,500 प्रति एचपी डीसी पम्प हेतु) जो कि लगभग आधार दर का 30 प्रतिशत है, के अलावा राज्य योजना के अन्तर्गत आधार लागत का 45 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देय होगा। इस प्रकार कुल देय अनुदान आधार लागत का लगभग 75 प्रतिशत है।

- कृषक, जिनके पास कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है या उनका नाम डिस्कॉम की वर्ष 2016–17 की वरीयता सूची में नहीं है, को भारत सरकार (MNRE) द्वारा देय अनुदान (राशि रु.32,400 प्रति एचपी एसी पम्प हेतु व राशि रु.40,500 प्रति एचपी डीसी पम्प हेतु) जो कि लगभग आधार दर का 30 प्रतिशत है, के अलावा राज्य योजना अन्तर्गत आधार लागत का 30 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देय होगा। इस प्रकार कुल देय अनुदान आधार लागत का लगभग 60 प्रतिशत है।
- कृषक, जिनके पास कृषि विद्युत कनेक्शन है या जिनका नाम कृषि विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की वर्ष 2016–17 की वरीयता सूची में है एवं वे कृषि विद्युत कनेक्शन समर्पित नही करना चाहते, उन्हें भारत सरकार (MNRE) द्वारा देय अनुदान (राशि रु.32,400 प्रति एचपी एसी पम्प हेतु व राशि रु.40,500 प्रति एचपी डीसी पम्प हेतु) जो कि लगभग आधार दर का 30 प्रतिशत देय होगा।

ग्राम
9-11 नवम्बर 2016
जयपुर

उन्नत किसान
ख़ुशहाल राजस्थान

उद्यान निदेशालय, राजस्थान
पंत कृषि भवन, जनपथ, सी–स्कीम, जयपुर 302 005
T: +91 141 2227706 | W: agriculture.rajasthan.gov.in
E: hortiraj_rj@gov.in

अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेन्टर **1800 180 1551**
पर बात करें या अपने पास के कृषि पर्यवेक्षक या अपने ज़िले के
उप निदेशक कृषि या सहायक निदेशक उद्यान विभाग के कार्यालय में सम्पर्क करें

ग्लोबल
राजस्थान
एग्रीटेक मीट
9-11 नवम्बर 2016
जयपुर